श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 20 जुलाई, 1984

सं० ओ.वि./एफ.डी./87-84/25318.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, की राय है कि मै. सांई कैमीकलज, प्लाट नं० 390 सैक्टर 24, फरीदाबाद के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमियों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला (मामले) है/हैं, अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला (मामले) है/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्रमिक प्रति वर्ष दो जोड़ी वर्दी (टेरीकाट) के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

सं० ओ.वि./एफ.डी./1/59-84/25327.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. दोविया उद्योग, प्लाट नं० 74, सक्टर 27-सी, फरीदाबाद के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला (मामले) है/हैं, अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला (मामले) है/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या श्रमिक 2 जोड़े वर्दी तथा 15 रुपये धुलाई भत्ता लेने के हकदार है ? यदि हां, तो किस विवरण ने ?
2. क्या श्रमिक नियुक्ति पत्र तथा हाजरी कार्ड लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

सं० औ. वि./एफ.डी./33-84/25345.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. अनिल रबड़ मिल्ज प्रा. लि., प्लाट नं. 30, सैक्टर 6, फरीदाबाद के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा इस विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं, अथवा विवादों से संगत या सम्बन्धित मामला/मामले है/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्रमिक प्रति वर्ष दो जोड़ी वर्दी (टेरीकाट) के हकदार है? यदि हाँ, तो किस विवरण में ?

मीरा सेठ,

वित्त आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।